

FORM NO. III

APP-A

फर्द अहकाम

crim-I

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज0)

क्रमांक वनाम सिंचाई विभाग आदि
 किस्म मुकदमा नं. सन्
21/10/22

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
12.9.22	वाद पत्र/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा <u>आदेश 9 नियम 9 CPC</u> द्वारा वकील श्री <u>देवेन्द्र कुमार जैन</u> पेश किया गया। सरिस्ता रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु तलब किया जाकर दिनांक <u>9.11.22</u> को पेश हो।	
9.11.22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित हैं। अप्रार्थी वकील प्रार्थी ने अपनी एकपक्षीय बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद संख्या <u>08/2004</u> नियम दि० <u>25-8-22</u> को पुनः नम्बर पर लेने हेतु निवेदन किया। वकील प्रार्थी द्वारा बहस में दिये गए तर्कों पर मनन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूलावाड से <u>08/2004</u> को पुनः दर्ज रजिस्टर किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नियम <u>खुले न्यायालय</u> में सुनाया गया। पत्रावली वाद तर्कमूलक मूलावाड के साथ संलग्न रहे।	

 उपखण्ड अधिकारी
 नैनवां (बून्दी)



तारीख
हुयम

हुयम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

न्याया
शुक्र

28/8/22

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी अनुपस्थित
है। न्यायालय से रकम-रकमकर 3 बार
आवाजे लगवायी गयी उसके बाद भी बार-
बार आवाजे लगवायी गयी लेकिन वकील
वादी या वादीगण में से कोई भी न्यायालय
में उपस्थित नहीं हुए। अतः न्यायालय इस
वाद को औरकार रखना उचित नहीं समझता
है। अतः पत्रावली अदम हाजरी अदम
पैरवी में खारिज की जाती है। निवृत्ति खुले
न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली
बाद तत्काल काबिल दफ्तर है।

उपस्यण्ड अधिकारी
बैजवां (बून्वी)

17-1-23

पत्रावली न्यायालय हाजा के प्रार्थना पत्र संख्या
211/2022 बडनवान बनवारी बनाम सिचाई
विभाग के निवृत्ति दिनांक 9-11-22 की
अनुपालना में आज पेश हुई। वाद पत्र
पुनः दर्ज रजिस्टर किया जावे। पत्रावली
वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक
15/5/23 को पेश है।

पत्रावली पेश हुई। वकील अनुपस्थित है। न्यायालय
पीअसीन आवाजे लगाये। बार-बार आवाजे लगाये।
राज्यपाल के आदेश पर न्यायालय में उपस्थित
को पेश है।

15/5/23

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय उपस्थित है। श्रीमान
पीअसीन आवाजे लगाये। बार-बार आवाजे लगाये।
राज्यपाल के आदेश पर न्यायालय में उपस्थित है।
को पेश है।